न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 32/2018 (उदयपुर आर्डर)

विष्णु पिता स्वर्गीय हीरा जी डांगी, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कुका पिता स्वर्गीय हीरा जी डांगी, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती राजूडी पिता स्वर्गीय हीरा जी डांगी, निवासी भोपालपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोहनलाल पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल जी जैन पोरवाल, निवासी 8, शिवनगर, गाडरियावास रोड़, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी मोहनलाल जी जैन पोरवाल, निवासी 8, शिवनगर, गाडरियावास रोड़, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती उषा पत्नी प्रवीण जी जैन पोरवाल, निवासी 8, शिवनगर, गाडरियावास रोड़, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती वन्दना पत्नी राकेश जी जैन पोरवाल, निवासी 8, शिवनगर, गाडरियावास रोड़, उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये उप–पंजीयक वल्लभनगर, कार्यालय पंजीयन अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. घनश्याम पिता मांगीलाल जी, जाति धनगर, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. शशिप पिता मांगीलाल जी, जाति धनगर, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती सोहनीबाई पत्नी गणेशलाल जी डांगी, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0 19.04.2018 प्रकरण [illegible] 46/2017

———/———

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:23 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री सुशील कोठारी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पो. सं. 3 से 6 व 9 से 11

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 7, 8

———::———

निर्णय **दिनांक 20–09–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वल्लभनगर में आराजी नंबर 1957, 1958, 1962 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में मेगा, रामा, हीरा पिता किसना डांगी के नाम हिस्सा बराबर दर्ज है। विवादित भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खाते की अविभाजित मौरूसी भूमि है, जिनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर प्रार्थी के दादा वरदा जी थे, जिसके पीछे किसना जी ही हमारे मूल पुरूष थे, जिसकी 2 पुत्रियां धापू व पनी तथा तीन पुत्र हीरा, रामा व मेगा हुए। इसमें हीरा की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारसि राजूडी, कूका, खेमा व विष्णु हैं, जिसमें खेमा मेगा के गोद चला गया। हीरा जी को यह जमीन किसना जी की विरासत से प्राप्त हुई है। हीरा के नाम दर्ज आराजियात में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 का बराबर हिस्सा है अर्थात विवादित आराजियात में हीरा के नाम दर्ज हिस्से में प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। विवादित आराजियात में हीरा का 1/2 हिस्सा ही था, किन्तु उनके द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण दिनेशचन्द्र पिता जेतराम डांगी को कर दिया गया एवं दिनेशचन्द्र द्वारा विपक्षी संख्या 3 से 6 को विक्रय कर दिया, जो प्रार्थी के मुकाबले शून्य प्रभावी हैं। उक्त विक्रय पत्र की आड़ में विपक्षी संख्या 3 से 6 प्रार्थी को बेदखल करने की धमकियां देते हैं तथा मौके पर निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बेह, बक्षीय आदि तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की स्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 3 से 11 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात का विभाजन होकर उनके खाते दर्ज हो चुकी है तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो चुकी है तथा के द्वारा आवासीय पट्टे भी प्राप्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:23 IST
Reason: SelfAttested

लिये गये हैं। विक्रय राशि प्राप्त करते समय प्रार्थी विष्णु स्वयं उपस्थिति था, किन्तु अब उसके मन में लालच आ जाने से यह झूठा एवं मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो सव्यय खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 19–04–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 तथा 9 से 11 की ओर से वकील श्री पन्नालाल मारू एवं आशीष मारू उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ तो रूपान्तरण आदेश जारी किये गये वहीं दूसरी ओर रूपान्तरण को आधार मानते हुए अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। वादग्रस्त भूमि पैत्रृक होना दस्तावेजों से साबित है, जिससे अपीलान्ट का जन्म से अधिकार है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजियात मेगा, रामा, हीरा पिता किसना डांगी के नाम हिस्सा अनुसार बराबर दर्ज है तथा जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजियात का सहमति से बंटवारा हो चुका है। संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07–09–2017 से विवादित आराजीयात कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो चुकी है, जिससे राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। विवादित आराजियात पर कब्जा अपीलान्ट का होना भी साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:23 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–04–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:23 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:23 IST
Reason: SelfAttested